

an>

Title: Election of three Members from Lok Sabha to the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Sir, I beg to move :-

“That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (3) of Rule 254 read with sub-rule (1) of Rule 331B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, three members from amongst themselves to serve as the members of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Shri A. Narayanaswami, Shri Bhanu Pratap Singh Verma and Shri Er. Bishweswar Tudu appointed as Ministers.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री ए. नारायण स्वामी, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और श्री इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडु, जो मंत्रियों के रूप में नियुक्त हो गए हैं, के स्थान पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीन सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)